उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या 489/2025/1544/41-1-2025-114 बजट-2020
लखनऊ:: दिनांक: 23 मई 2025
शुद्धि-पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद जालौन में पूर्ण कराये गये 03 नग कार्यों की अवशेष जी०एस०टी० की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-473/2025/1327/41-1-2025-114 (बजट)-2020, दिनांक 07 मई, 2025 के प्रस्तर-2 के क्रमांक-1 के कालम-3 में अंकित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति " रू० 50.00 लाख (जी०एस०टी० सहित)" के स्थान पर "रू० 50.42 लाख (जी०एस०टी० सहित) "एतद्ववारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 07 मई, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2 . महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन ।
4. जिलाधिकारी, जालौन ।
5. अपर आयुक्त, (ग्रेड-1), वाणिज्य कर विभाग, झांसी मण्डल झांसी ।
6. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (रा०यो०) मुख्यालय, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, झांसी मण्डल झांसी।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in